न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 153/2020
GCMS NO. : 2020/00306

-: प्रार्थीगण :-	बनाम	-: अप्रार्थीगण :-
मृतक गोकल वल्द भेरा के का.मु. 1. बाबुलाल पुत्र गोकलजी 2. ढगलाराम पुत्र गोकलजी 3. छोटूराम पुत्र गोकलजी जातियान बावरी, निवासीगण- ठाकरवास, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, (राज.)।		1.राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर पाली जिला पाली। 2.तहसीलदा जैतारण तहसील जैतारण। 3. हल्का पटवारी, पटवार मण्डल बिरोल तहसील जैतारण।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजूः-23.11.2020

उपस्थितः-
1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. सरकारी पैराकार, राजस्थान सरकार, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 28/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ठाकरवास तहसील जैतारण में सायलान की संयुक्त हिन्दु परिवार की शामलाती पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 241 रकबा 3-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 202 रकबा 5-05 बीघा किस्म बारानी दोयम नदी वाला खेत भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है उक्त कृषि भूमि पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व सायलान के पिता स्वर्गीय श्री गोकल पुत्र भेरा जी जाति बावरी काबिज थे जिसके आधार पर बन्दोबस्त विभाग द्वारा दिनांक 06.12.1954 को पर्चा संख्या 1/19 सायलान के पिता गोकल वल्द भेरा बावरी के नाम जारी किया गया। उक्त खतौनी संख्या 1/19 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वक्त सेटलमेंट से पूर्व से आज दिन तक सायलान व गोकलजी वादग्रस्त आराजी पर बतौर रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार के काबिज है व काश्त [illegible] करते आ रहे है। सायलान के पिता स्व0 गोकल जी की मृत्यु दि[illegible].07.2000 में हुई, उनके जीवनकाल तक वही भूमि पर काश[illegible] मृत्यु के बाद बतौर उत्तराधिकारी के सायलान वादग्रस्त आराजी खसर[illegible]म्बर 202 रकब[illegible]05 बीघा भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है। उक्त कृषि भूमि सायलान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अपने पिता/प्रपिता से विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर पीढी दर पीढ़ी संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्यों के रुप में उपयोग-उपभोग एवं काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी से सायलान को महरुम करने की नियत से प्रतिवादी सं. तीन हल्का पटवारी ग्राम बिरोल द्वारा दिनांक 14.07.2020 को सायलान को कहा कि आपके कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 5-05 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि राज्य सरकार की सिवाच चक की सरकारी भूमि है आप इस भूमि से कब्जा छोड़ दो, वरना आपके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाही की जायेगी, इस पर सायलान ने कहा कि यह भूमि मेरे पिता जो की वक्त सेटलमेंट से पूर्व से खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर बतौर खातेदार के हम काबिज है व काश्त करते आ रहे है। तब प्रतिवादी सं. तीन ने कहा कि सरकारी खाते व जमाबन्दी खतौनी में यह भूमि राज्य सरकार के नाम चालु पड़त के रुप में दर्ज है। इस पर सायलान द्वारा तहसील कार्यालय जैतारण से राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियों लेने पर मालूम हुआ कि म्यूटेशन संख्या 182 के कॉलम संख्या 14 में यह अंकित है कि स्तीफा स्वीकार किया गया तहसीलदार साहब क्रमांक 616/31.5.81 के अनुसार पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 202 रकबा 5-05 बीघा किस्म बारानी दोयम गोकल वल्द भेरा की खातेदारी भूमि सरकार के नाम दिनांक 31.05.1981को जरिए म्यूटेशन दर्ज की गई, व भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र द्वारा दिनांक 31.05.81 को ही जांच किया व दिनांक 31.05.1981 को ही तहसीलदार जैतारण द्वारा स्वीकार किया गया, यह सम्पूर्ण कार्रवाही एक ही दिन में करने का म्यूटेशन में अंकन है। उक्त म्यूटेशन सं. 182/31.05.1981 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। सायलान को स्तीफा देने की मालुम होने पर तहसील कार्यालय जैतारण से ग्राम ठाकरवास में स्थित खसरा नम्बर 202 किस्म बारानी दोयम दिनांक 31.05.1981 को भूमि के स्तीफा की सम्पूर्ण पत्रावली मय तहसीलदार जैतारण के आदेश क्रमांक 616/31.05.81 की प्रमाणित प्रति लेने का आवेदन दिनांक 27.07.2020 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 10.08.2020 को तहसीलदार जैतारण ने सायलान के प्रतिलिपि के आवेदन की पुष्ठ पर यह अंकन किया गया कि कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड में चाही गई दस्तावेज काफी प्रयास के भी उपलब्ध नहीं हुए है रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ पेश है। इस अंकन के साथ ही सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रति मेरे मुवक्किलान ने तहसील कार्यालय जैतारण से प्राप्त की। उक्त नकल आवेदन की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। सायलान के स्वर्गीय पिता श्री गोकल ने दिनांक 31.05.81 को या इससे पूर्व व [illegible] खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा [illegible] बारानी दोयम सरहद मौजा ठाकरवास के बाबत् कभी भी स्तीफा [illegible] इस भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया, नहीं परित्याग किया न ही निर्वापन (अहवसान या पर्यवसान) किया, यानि Surrender, Abandonment, Extinction of Tenancy राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सरकार के पक्ष में लिखित/मौखिक रूप से कभी भी नहीं किया गया। व सायलान के पिता गोकल जी अनपढ थे पढना–लिखना व हस्ताक्षर करना नहीं जानते थे केवल अंगुष्ठ निशान ही करते थे उनके द्वारा कभी भी इस भूमि के समर्पण के कागजात् पर अंगुष्ठ निशान नहीं किया, सायलान के पिता अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने से तत्कालीन गांव के सवर्ण लोगों से द्वेष होने से तत्कालीन पटवारी ग्राम बिरोल ने बिना किसी त्याग पत्र/समर्पण के म्यूटेशन संख्या 182 इस्तीफा दिनांक 31.5.81 का हवाला देकर व स्वीकार करने का हवाला देकर सायलान की भूमि को सरकारी खाते में बाले वाले दर्ज कर दी, जो पूर्णतया अवैध व गैरकानूनी है इस म्यूटेशन संख्या 182 से सायलान व उनके पिता स्व. श्री गोकल के हक अधिकार समाप्त नहीं होते है वहीं खसरा नम्बर 202 रकबा 5–05 बीघा किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा ठाकरवास तहसील जैतारण के एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार है और उनका नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी में जरिए रेकर्ड दुरुस्ती बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज करवाने के अधिकारी है ऐसी रेकर्ड दुरुस्ती की घोषणा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है साथ ही अवैध व गैरकानूनी रूप से भरे गये म्यूटेशन संख्या 182/31.05.1981 जो सायलान के हक अधिकारों के विरुद्ध नल एवं वॉईड होने से इसे रद्द करवाने के अधिकारी है जिसे रद्द/निरस्त घोषित किया जावे, इस म्यूटेशन संख्या 182 के पूर्व की राजस्व रेकर्ड की स्थिति को पुनः बहाल किया जाकर मृतक गोकल के विधिक उत्तराधिकारीगण के तौर पर सायलान का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे, ऐसी घोषणा सायलान प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् घोषणा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1995 के अध्याय–5 की धारा 55, 56, 57, 58, 59, 60 व 61 की कोई कार्यवाही विधिवत् रुप से नहीं की गई, ना ही स्व. गोकल वल्द भेरा जी ने अपनी खातेदारी भूमि का सरकार के पक्ष में समर्पण/त्यागपत्र बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया, ना ही कोई कार्रवाही हुई, इसलिए बिना किसी विधिक कार्रवाही के अवैध व गैरकानूनी रूप से म्यूटेशन संख्या 182 भरा गया, जो अवैध एवं गैरकानूनी है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 5–05 बीघा किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा ठाकरवास तहसील जैतारण जिला पाली के सायलान एकमात्र स्व. गोकल जी के उत्तराधिकारी के तौर पर काबिज खातेदार काश्तकार है इनका नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी में दर्ज किया जावे, व म्यूटेशन संख्या 182 दिनांक 31.05. 1981 को निरस्त किया जाकर सायलान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् रद्द घोषित करने नामान्तरकरण मय रेकर्ड दुरुस्ती खिलाफ गैरसायलान के पेश है। राजस्व रेकर्ड [illegible] नामान्तरकरण के आधार पर गैरसायलान वादग्रस्त आराजी [illegible] काश्त की भूमि में दखलांदाजी, बाधा, रोकटोक करने का कोई [illegible] हक अधिकार नहीं है ना ही वादग्रस्त आराजी से सायलान को विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना बेदखल करने का अधिकारी है यदि गैरसायलान द्वारा ऐसा किया गया तो सायलान उन्हें ऐसा हरगीज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

नहीं करने देंगे, इसलिए सायलान अपने कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी में काश्त करें या कराचे, इसके मुतालिक कुल काम करें या करावे, उसमें गैरसायलान या उनके कर्मचारी किसी प्रकार की दखलांदाजी, बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही बेदखल करने का प्रयास करें, ऐसा करने से सायलान, गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा के रूकवाने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों, मौके पर कब्जा काश्त एवं दस्तावेजात् के आधार पर सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का सन्तुलन बखूबी साबित है यदि राजस्व रेकर्ड में गलत आधार पर वादग्रस्त आराजी से सायलान को बेदखल करने या कब्जा काश्त में कोई दखलांदाजी, बाधा उत्पन्न करने की सूरत में अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी, इसलिए सायलान, गैरसायला विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। सरकारी पैरोकार को जवाब पेश करने हेतू अनेकानेक अवसर देने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से जवाब अवसर बंद किया जाता है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ठाकरवास में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 241 रकबा 3–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल तथा खसरा संख्या 202 रकबा 05–05 बीघा किस्म बारानी दोयम नदी वाला खेत भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त पैतृक भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण के पिता स्व. गोकुल पुत्र भैरा सेटलमेंट पूर्व से काबिज थे जिसके आधार पर बंदोबस्त विभाग द्वारा दिनांक 06.12.1954 को प्रार्थीगण के पिता गोकुल वल्द भैरा के पक्ष में पर्चा संख्या 1/19 जारी किया। उक्त भूमि वर्तमान में सिवाय चक दर्ज है जिसे अप्रार्थीगण बेदखल करने पर आमादा है। नामान्तरण संख्या 182 स्वीकृत कर यह अंकित करते हुए स्तीफा स्वीकार किया गया, प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी समाप्त कर वादग्रस्त भूमि सिवाय चक दर्ज कर दी गई जो कि विधिविरूद्ध है। क्योंकि प्रार्थीगण के पिता खातेदार ने कभी स्तीफा प्रस्तुत नही किया था तथा न ही काश्तकारी अधिनियम में स्तीफे से भूमि सिवाय चक दर्ज की जा सकती है। नामान्तरण संख्या 182 प्रार्थीगण के हितो के विरूद्ध बेअसर एवं प्रभावशून्य होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख से स्पष्ट है के वादग्रस्त आराजी वर्तमान में सिवाय चक दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी का पर्चा चकबंदी बंदोबस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पर्चे में वादग्रस्त आराजी के कॉलम संख्या 02 में नदी वाला खेत अंकित है। जिससे प्रथम दृष्टया यह विश्वास का कारण बनता है कि उक्त भूमि जल बहाव क्षैत्र से संबंधित है तथा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से आच्छादित है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :– चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही वादग्रस्त आराजी वर्तमान में सिवाय चक दर्ज होने तथा पर्चा लगान में नदी वाला खेत अंकन होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित नही होता है साथ ही प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे है कि उन्हे अपूर्णीय क्षति किस प्रकार हो सकती है जबकि भूमि सिवाय चक दर्ज है। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होनें से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित्त निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनांक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:14 IST
Reason: SelfAttested